अंचल अधिकारी का कार्यालय, तोपचाँची(धनबाद)

अभिलेख सं0 18(X) /2016–17

वाद का प्रकार :– बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कार्रवाई से संबंधित।

तिथि	पदाधिकारी आदेश	कृत का
25/7/16	झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 2074/रा0 दिनांक 13.05.2016 सहपठित श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू–अर्जन– सह – विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या– 3 – खा0म0निति – 119/85/2308/रा0 दिनांक 03.09.1985 एवं सह–पठित राजस्व विभागगीय परिपत्र संख्या – 914/रा0 दिनांक 09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियो की जाँच प्रारम्भ की गयी। जाँच के कम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं प्र0अ0नि0 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :– मौजा खरनी थाना नं0 153 खाता नं0 205 प्लॉट नं0 1630, 1773, 1774, 1780 रकवा 1.17 [illegible] एकड की सरकारी भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार(झारखण्ड) सरकार के खाते की भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी II के जिल्द सं0 5 के पृष्ट संख्या 436 पर जमाबंदी रैयत झारखण्ड सरकार के नाम से कायम है। हल्का कर्मचारी एवं प्र0अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरूद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। हल्का कर्मचारी एवं प्र0अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध कोड़कर बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है। अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू–खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण पृच्छा करें, कि क्यों नही उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाए। अभिलख दिनांक 1.8.16 को उपस्थापित करे। 25/7 अंचल अधिकारी, तोपचाँची 25.7.16	

अभिलेख उपस्थापित । लामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवादी द्वारा संदिग्ध अमीन के संबंध में कोई भी राजस्व कागजात समर्पित नहीं किया जाता है । इस संबंध में भीम लाल हाँसदा द्वारा मात्र उपस्थिति दर्ज करायी गई/अनुपस्थित जो अभिलेख में संलग्न है । लगान वर्ष........................ तक भुगतान किया गया है ।

मौजा- रवरनी .... थाना नं० 153 .... खाता संख्या 205 ....

प्लॉट संख्या- 1630, 1773, 1774, 1780 रकवा 1.17 ए० धूर कुल 1.17 ए०

धूर भूमि क्रमशः प्रतिवादी के नाम पर जमाबंदी दर्ज है । पंजी-।। में प्रतिवादी के नाम पर सृजित जमाबंदी में जांचोपरान्त निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गई हैं :-

1. जमाबंदी सृजित करने संबंधित सक्षम प्राधिकार के आदेश का उल्लेख नहीं पाया गया ।

2. लगान निर्धारण / जमींदार से प्राप्त संबंधी पट्टा / सादा हुकुमनामा आदि कागजात नही पाया गया ।

3. बंदोबस्ती पट्टा भी ~~नहीं पाया गया और न ही~~ प्रतिवादी द्वारा उपलब्ध कराया गया है ।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि वर्णित जमाबंदी बिना किसी सक्षम प्राधिकार के आदेश के बिना ही सृजित कर दी गई है, जो अवैध है ।

अतः मौजा- रवरनी .... थाना नं० 153 .... खाता संख्या 205 .... प्लॉट संख्या- 1630, 1773, 1774, 1780 रकवा 1.17 ए० धूर, कुल .... धूर,भूमि जो प्रतिवादी सुधा माँझी .... के नाम पर पंजी-।। में दर्ज है, को बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(H) के तहत कायम जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की जाती है ।

तदनुसार अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उपसमाहर्ता, धनबाद को भेजे ।

लेखापित एवं संशोधित

(हस्ताक्षर) 27/11/20
अंचल अधिकारी
तोपचाँची ।

(हस्ताक्षर) 27/11/20
अंचल अधिकारी
तोपचाँची ।

Scanned with CamSc

(18)

संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- शुक्रा मांझी पिता राम मांझी
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :-

मौजा	थाना सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा
इटरनी	153	205	1630, 1773, 1774, 1780	1.17.50

3. जमाबंदी पंजी–II के जिल्द संख्या 5 पृष्ठ सं0 456 पर कायम है :-
4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है – 88-89
5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :- अनाबाद सरकार
6. किस सक्षम प्राधिकार/पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है – बन्दोबस्ती 35 बी/ 88-89
7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :- –
6. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा/लगान निर्धारण/अवैध भूबंदोबस्ती – बन्दोबस्ती
9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न/बन्दोबस्ती पंजी/लगान निर्धारण पंजी/भू–हस्तांतरण पंजी) – पंजी II से
10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष –

क्र0 संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
	8293312	27.7.2010	99-2010

(8)

अंचल अधिकारी का कार्यालय, तोपचाँची(धनबाद)

वाद अभिलेख सं0 18.(X) / 2016–17 (अन्तर्गत धारा – 4(h), BLR Act, 1950)

सूचना

बनाम,

सुखरी मांझी

पिता – राम मांझी

ग्राम – रघुनी पाँ0 तोपचाँची

थाना – तोपचाँची जिला – धनबाद।

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा रघुनी थाना नं0 153 खाता नं0 205 प्लॉट नं0 1630 रकवा 1.17 एकड़ से संबंधित आपके नाम से हल्का नं0........ के पंजी II भाग........ के पृष्ठ 436 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने प्र0अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव, आप उक्त संबंध में दिनांक 1-8-16 को समय 11:00 बजे पूर्वा0 में उक्त भूमि का रिटर्न –I, भूमिबंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदें, फार्म M एवं सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व रसीदें निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यायल प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नही कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति–युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकीद जानें।

तिथि :–

स्थान :– तोपचाँची

अंचल अधिकारी

तोपचाँची

25.7.16